#### आर- क0 1777/2016/बी-4/दो

विषय:-याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरुद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरुद्ध अपील अनुमति के संबंध में।

> --00---प.क.1777 / 2016, दि० 17.003.2016

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव का कृपया अवलोकन

हो।

याचिका कमांक डब्ल्यूपी0-19817/15 द्वारा श्रीमती शैलसाहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरूद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 में शासकीय अधिवक्ता श्री बृहम्मदत्त सिंह, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अभिमत अनुसार निर्णय विरूद्ध अपील किये जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा लेख किया गया

प्रकरण में याचिका की प्रति, जबावदावा की प्रति, माननीय/न्यायालय के निर्णय की प्रति, शासकीय अधिवक्ता का अभिमत एवं विधिक आधार एवं प्रकरण की संक्षेपिका सहित अपील प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव अनुसार याचिका क0-डब्ल्यूपी-19817 / 1 5 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरूद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरूद्ध रिट अपील अनुमति हेतु प्रकरण प्रशासकीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। तदोपरान्त अनुमति हेतु विधि विभाग से अनुरोधः किया जायेगा।

523 DSAS

21.3. x16 जेल विभाग

H.R. STEFE

P-16/C P-301C

86.30



उब्बोस सिचवालय हिंगु

विषय :

आर- क0 1777/2016/बी-4/दो

विषय:—याचिका क0—डब्ल्यूपी—19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार(अ) 6वीं वाहिनी, विसबल जबलपुर विरूद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरूद्ध अपील अनुमति के संबंध में। ——00——

का विभाग

# //पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल //

क-पुमु/एलएस-2/ए-3/(165/15)/ 617 /16 दिनांक 14 /03/2016 प्रति,

सचिव म0प्र0शासन,गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल । 17/03/16

याचिका क0—डब्ल्यूपी—19817/15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर विरूद्व म०प्र०शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 के विरूद्व अपील अनुमति के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत याचिका क0— डब्ल्यूपी—19817 / 15 द्वारा श्रीमती शैल साहू सेवानिवृत्त सूबेदार (अ) 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.01.16 में शासकीय अधिवक्ता श्री बृहम्मदत्त सिंह, माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के अभिमत अनुसार निर्णय विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में लेख

अतः याचिका की प्रति,जबावदावा की प्रति, माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति, शासकीय अधिवक्ता का अभिमत एवं विधिक आधार एवं प्रकरण की संक्षेपिका सहित अपील प्रस्ताव संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्व रिट अपील दायर करने संबंधी शासनादेश से यथाशीघ्र संसूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि) हेतु—पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश भोपाल

क-पुमु/एलएस-2/ए-3/(165/15)/

/ 16 दिनांक

/03/2016

प्रतिलिपि:— सेनानी 6 वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शासन से संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

> सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विधि) हेतु-पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश,भोपाल

#### IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

WRIT PETITION NO.

OF 2015(S).

19817

PETITIONER:

Smt. Shail Sahu.

Versus

RESPONDENTS:

The State of M.P. & Others.

#### INDEX

r. No.	Description of the documents relied upon.	Annexure	Page Nos.
1.	Index.		1
2	Chronology of events.		2.
3.	Writ Petition with affidavit.		3.10
4.	List of documents.		11.
5.	Copy of PPO dated 29-06-2012 with Pension Calculation Sheet.	P/1	12-15
6.	Copy of order dated 04-10-2012.	P/2	16
7.	Copy of letter dated 20-07-2012.	P/3	1719
8.	Copy of letter dated 13-09-2012.	P/4	20-21
9.	Copy of circular.	P/5	22-30
10.	Vakalatnama.		- 31.

Place: JABALPUR.

Date: 1-11-2015.

SACHIN PANDEY
ADVOCATE FOR PETITIONER

57 16

# IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W. P. No. 19817/2015

PETITIONER

Smt. Shail Sahu

Versus.

RESPONDENTS:

The State of M.P. & others

#### INDEX

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Return		1 to 4
2. ·	Affidavit		5
3.	Copy of order dtd. 18/7/2007	R-1	6 To 20
4.	Copy of order dtd. 21/4/2011	R-2	2) Tos7
5.	Copy of orders dtd. 27/10/2006 and order dtd. 6/8/2007	R-3 & R- 4	58 1. 59 60 To 63
6.	Vakalatnama		-64

Jabalpur Dated : 74 JA-202516

#### DECLARATION

It is declared that "Main Matter" is not included in the current daily/weekly, list, issued by the Registry."

ST. JF OATHS CORTHE HIG


1

GOVERNMENT ADVOCATE

# IN THE HIGH COURT OF M.P. PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

WRIT PETITION NO. 19817. OF 2014(S).


### PETITIONER:



Smt. Shail Sahu, W/o Shri Jagdish Prasad Sahu, aged about 63 years, Retired Subedar O/o Commandant 6<sup>th</sup> Training Battalion, Ranjhi, Jabalpur, R/o House No. 150, behind Sindhi Camp Khairmai Ward, Bhantalaiya Jabalpur, District-Jabalpur. (M.P.)

#### Versus

## RESPONDENTS:





- Director General of Police, Police Head
   Quarter Bhopal (M.P.)
- Joint Director, Treasury, Accounts, & Pension Jabalpur Division, Jabalpur. (M.P.)
- Treasury Officer, District Treasury Office, Jabalpur, District-Jabalpur (M.P.).
- District Pension Officer, Jabalpur, District-Jabalpur (M.P.).

2015 6. Commandant 6th Training Battalion Jabalpur,
District-Jabalpur (M.P.).

# WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

- 1. Particulars of the cause/order against which the petition is made:
- (1) Date of the order: (a) PPO dated 29-06-2012.
  - (b) Order dated 04-10-2012.



D. O. No. . 982



#### MADHYA PRADESH

To.

### OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR

**JABALPUR** 

January 29, 2016
Dated 30/1/2016

The Principal Secretary, Govt. of M.P., 1. Law & Legislative Affairs Department, Vindhyachal Bhawan, Bhopal.

2. The Secretary, Govt. of M.P., Home (P) Department, Vallabh Bhawan, Bhopal.

The Commandant, SAF, 6 Bn. Jabalpur ((MP). Sub :-

Opinion in W.P. No. 19817/2015 (Smt. Shail Sahu V/S State of MP & Ors)

In the captioned matter the petitioner, who retired from the post of Subedar from M.P. Police Department, challenged the recovery of Rs. 5,35,120/- from her gratuity and monthly pension.

Return was filed by the State Government stating that the recovery orders were initially issued on 25/3/2006 against all persons of the class of the petitioner as they were not entitled for ad noc increase of Rs. 50, 60 and 70, as the case may be, in their pay scale after re-fixation at par

It was further stated that against the aforesaid order dtd. 25/3/2006 writ petitions were filed y the employees of the class of the petitioner wherein after initially granting stay the same were

In the writ appeals preferred there against after initially granting stay the same were also imissed by the Hon'ble High Court vide orders dtd. 21/4/2011 with a specific direction to make the

As such, it was submitted before the High Court that since it is not a case where due to ess payment for a long time the unexpected recovery would result in hardship to the petitioner, the te of Punjab Vs. Rafiq Masih case reported in 2015 (1) MPHT 130 (SC) would not be applicable.

However, the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dtd. 6/1/2016 on the ground as per the case of Rafiq Masih no recovery is permissible against the Class III and Class IV loyees.

I have gone through the said Judgment, the material on record as well as relevant case laws s of the opinion that the aforesaid Judgment deserves to be scrutinized in intra court appeal Division Bench of the Hon'ble High Court by filing writ appeal as:

In the case of State of Punjab Vs. Rafiq Masih (2014) 8 SCC 883 three Judges Bench of the Hon'ble Supreme Court was answering a reference as to whether in view

#### अपीलीय विधिक आधार

(37) 38

याचिका क्रमांक—डब्ल्यू०पी० 19817 / 15 श्रीमती शैल साहू विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 6.01.16 को आदेश पारित किया गया । पारित निर्णय में शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्रकरण के निराकरण हेतु अभिमत लिया गया । शासकीय अधिवक्ता के दिनांक 30.01.16 के अभिमत में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.01.16 में स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रिफक मसी उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को आधार मानकर याचिका कर्ता की याचिका स्वीकार की गई है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही रिकवरी से संबंधित अन्य प्रकरणों में जिसमें चंडी प्रसाद उन्नयल का प्रकरण 2012 एवं वीठजेठ अकारा के प्ररुक्ण 2006 में निर्णय पारित कर स्पष्ट किया गया है कि रिकवरी कानूनन गलत नहीं हैं ।

उक्त प्रकरण में याचिका कर्ता को पूर्व से ज्ञात था कि उसकी रिकवरी होगी परंतु माननीय उच्च न्यायालय में कई डब्ल्यू०पी० व डब्ल्यू०ए० रिकवरी से संबंधित याचिकाये विचाराधीन थी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिकवरी पर स्टे दिया गया था , इसके बावजूद भी याचिका कर्ता अधिक भुगतान ले रहा था । शासकीय अधिवस्ता द्वारा स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं जिसमें चंडी प्रसाद उन्नयन का प्रकरण 2012 एवं वी०जे० अकारा का प्रकरण 2006 में पारित निर्णय के आधार पर उक्त प्रकरण पारित निर्णय दिनांक 6.01.16 के विरूद्ध डबल बैंच में अपीलीय कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

सेनानी 6वीं प्रशि.वाहिनी विसबल जबलपुर।